न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./14/2023/जैसलमेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

जुम्मेखां उर्फ जिम्मेखां पुत्र श्री जमालखां उम्र 88 साल, जाति मुसलमान, निवासी सोरो की ढाणी, डाबला, तहसील व जिला जैसलमेर।	राजस्थान सरकार जरिये 1. श्रीमान जिला कलक्टर जैसलमेर 2. श्रीमान तहसीलदार जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 61/2016 बउनवान जुम्मे खां उर्फ जिम्मे खां बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितः—

1. वकील श्री खूबाराम पंवार अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

—:निर्णयः—

दिनांकः—12.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया। अपीलकर्ता/वादी की कदीमी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम सोरों की ढाणी डाबला, तहसील व जिला जैसलमेर में आयी हुई है। जिस पर अपीलांट का निरंतर कब्जा काश्त है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय ने समरी बंदोबस्त एवं नियमित बंदोबस्त के रेकर्ड को ठीक से समझे बिना ही फैसला कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। हस्तगत वाद में प्रतिवादी राजपैरोकार का जवाब भी अप्राप्त था। विधि अनुसार जवाब दावा प्राप्त होने के बाद पोषणीयता के विधिक बिन्दु पर उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णीत किया जाना था किन्तु उक्त समस्त तथ्यों का अपीलाधीन निर्णय में अभाव पाया गया है। अपीलांट व अपीलांट का परिवार कृषक है। जिनके परिवार के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन कृषि है। जिस हेतु अपीलांट व अपीलांट का परिवार हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर निर्भर है। उक्त आराजी के अलावा अपीलांट के पास कोई अन्य भूमि नहीं है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 45 पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। अपीलांट द्वारा वाद पत्र पेश करते समय अपनी पुश्तैनी कब्जा–काश्त की हस्तगत वादग्रस्त आराजी के संबंध में खसरा परिवर्तन संवत् 1983 से लेकर आज दिनांक का पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कथनों पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट केवल अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज–काश्त रहा है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है। जो की राजकीय भूमि है। वकील अपीलांट द्वारा दावे के साथ कोई मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। न ही सत्यापित प्रतियां है। सभी दस्तावेज फोटोप्रति के रूप में है जिनकी वास्तविकता साबित नहीं होती है। वादी को अपना वाद अपने पैरों पर खेड़े रह कर साबित करना चाहिये। एडवर्स पजेशन/प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदरी का हक नहीं जताया जा सकता है। माननीय मण्डल ने भी समय–समय पर अपने अनेकों निर्णय में यह अवधारित किया है कि प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को खारिज फरमाया जावे। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी अतिक्रमी है अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा–काश्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादीगण अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के दावे को पोषणीयता के आधार पर खारिज किया जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं विधिक बिंदुओं के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 61/2016 बअनवान जुम्मे खां उर्फ जिम्मे खां बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2023 को यथावत रखा जाता है।

12/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/8/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर